

राजस्थान सरकार

शिक्षा-विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ।(विद्या सम्बल/ आकाशि/रे.पी./दिशा निर्देश/21/81

दिनांक: 14/7/22

प्राचार्य/नोडल अधिकारी,  
समस्त राजकीय महाविद्यालय

विषय-विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत अध्यापन कार्य हेतु गैस्ट फॅकल्टी आमंत्रित करने हेतु।  
संदर्भ-वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2) वित्त/सा.पि.ले.नि./2021 दिनांक 30.03.2021

महोदय,

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र के क्रम में लेख है कि विद्या सम्बल योजना शैक्षणिक संस्थानों में अध्यापन कार्य हेतु विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों से स्वीकृत पदों में रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार गैस्ट फॅकल्टी के रूप में कार्य लेने की (Enabling Scheme) योजना है। इस योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व स्वीकृत पदों की सीमा के अन्तर्गत रिक्त पदों की सीमा तक कक्षा विशेष/विषय विशेष में enrolment की संख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार आंकलन करते हुये तथा स्वीकृत पदों की सीमा तक आवश्यकतानुसार विद्या सम्बल योजना में वी गई प्रक्रिया का पूर्ण पालना करते हुए ऐसे महाविद्यालय जो वर्ष 2019, 2020, 2021 तथा 2022 में नवीन सृजित हुए हैं या ऐसे महाविद्यालय जिनमें विषय विशेष के स्वीकृत पदों में से 60 प्रतिशत पद रिक्त हैं में गैस्ट फॅकल्टी से अध्यापन कार्य करवाने के संवध में दिशा निर्देश निम्नानुसार होंगे-

1. विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा "विद्या सम्बल योजना" के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फॅकल्टी आमंत्रित कर अध्यापन कराने हेतु वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2) वित्त/सा.पि.ले.नि./2021 दिनांक 30.03.2021 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में गैस्ट फॅकल्टी के द्वारा अध्यापन व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा जारी उपर्युक्त वर्णित परिपत्र के बिंदु संख्या 4 (क) में वर्णित स्तर से परिपत्र के बिंदु संख्या 5 में वर्णित देय मानदेय पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन की जा सकेगी।
2. ऐसे महाविद्यालय जिनमें विषय विशेष के स्वीकृत पदों में से 60 प्रतिशत पद रिक्त हैं में अध्यापन गैस्ट फॅकल्टी के माध्यम से करवाया जा सकेगा।
3. वर्ष 2019, 2020, 2021 एवं 2022 में नवसृजित महाविद्यालयों में गैस्ट फॅकल्टी की व्यवस्था नोडल महाविद्यालयों द्वारा की जायेगी।
4. वर्तमान में प्रभावी महाविद्यालय शिक्षा नियम 1986 में सहायक आचार्य के पद हेतु वर्णित शैक्षणिक योग्यतायें पूर्ण करने वाले ऐसे उम्मीदवारों जो आवेदन करते समय 21 वर्ष की आयु पूर्ण करते हों को ही गैस्ट फॅकल्टी के तौर पर आमंत्रित किया जाये।
5. स्थानान्तरण/नवीन नियुक्ति द्वारा रिक्त पद के भरे जाने पर गैस्ट फॅकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक के होने पर आमंत्रित शिक्षकों को आमंत्रित करने हेतु बनायी गयी वरीयता सूची में सबसे नीचे स्थान वाले शिक्षक को सबसे पहले मुक्त किया जायेगा।
6. विशेष परिस्थितियों में किसी महाविद्यालय को विषय विशेष में अध्यापन व्यवस्था हेतु विद्या सम्बल योजना में गैस्ट फॅकल्टी की आवश्यकता होने पर आयुक्तालय से गैस्ट फॅकल्टी की अनुमति हेतु मांग

की जा सकती। महाविद्यालय द्वारा मांग प्राप्त होने पर सक्षम स्तर से निर्णय लेकर गेस्ट फैकल्टी व्यवस्था लागू की जा सकती।

7. गेस्ट फैकल्टी पर आमंत्रित शिक्षक केवल कालाश के अधार पर अध्यापन कार्य ही करवायेंगे, इन्हें कोई प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपा जाना है।

8. यह दिशा निर्देश मात्र शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु ही है।

9. गत वर्ष विद्या संबल योजना के अन्तर्गत अध्यापन करवाने वाली ऐसी गेस्ट फैकल्टी जिन के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्देश प्रदान करते हुये आदेशित किया है कि :-

" In the meanwhile respondents shall not engage any one else in place of the petitioners in 'Vidhya Sambal Yojna', माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेश के प्रभावी रहने तक माननीय न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित की जानी है।

10. विद्या संबल योजना के अन्तर्गत पैनल तैयार करने हेतु पी.एच.डी. उपाधिधारकों के संबंध में निम्न प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जानी है:-

दिनांक 11.07.2009 से पूर्व एम.फिल./ पी.एच.डी हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली डिग्री, संबंधित संस्थानों के तत्कालीन अध्यापक/उपबोध/विनियमों के द्वारा अनिश्चित होगी और पी.एच.डी डिग्रीधारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों को पूरा करने के अध्यापीन महाविद्यालयों में सहायक आचार्य पद भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लैट/सेट न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी:-

(a) अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति से पी.एच.डी प्रदान की गई हो।

(b) कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो।

(c) अभ्यर्थीका मुक्त मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो।

(d) अभ्यर्थी ने अपने पी.एच.डी शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किये हैं जिनमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित जर्नल पत्रिका में प्रकाशित हुये हो।

(e) अभ्यर्थी ने अपने पी.एच.डी शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किये हो।

उपरोक्त (a) से लेकर (e) तक कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण)) द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

11. विद्या संबल योजना हेतु पैनल बनाने के लिये स्थानीय स्तर पर संक्षिप्त विज्ञप्ति, प्रेस नोट एवं सार्वजनिक स्थानों पर सूचना चरपा करनी है, तथा महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर विस्तृत दिशा निर्देश देकर आवेदन आमंत्रित करने हैं। यदि पैनल बनाने हेतु पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो पुनः विज्ञापन देने से पूर्व नोडल/जिला स्तरीय महाविद्यालयों में प्राप्त आवेदन भंगवाकर विद्या संबल का पैनल तैयार किया जाना है।

12. गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने हेतु दिशा निर्देश :-

- (A) वित्त विभाग के परिपत्र के बिंदु संख्या 4 (क) में वर्णित संस्था प्रधान, महाविद्यालय में रिक्त रहल रहे पदों के आधार पर आवश्यकता का आकलन करें। शैक्षणिक सत्र के आरम्भ होने से पूर्व सार्वजनिक सूचना प्रसारित कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से संस्थाधर आवेदन आमंत्रित किये जायें हैं।
- (B) आवेदन पत्रों की जांच महाविद्यालयों स्तर/नोडल महाविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा आयुक्तालय द्वारा पात्रता के लिये निर्धारित एवं संसूचित दिशा निर्देश/शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची के आधार पर पैनल तैयार किया जायें।
- (C) प्रत्येक संस्था हेतु योग्य अभ्यर्थियों का विषयवार पैनल तैयार किया जायें, एवं प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध यथासंभव न्यूनतम 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जायेगा।
- (D) यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सत्र के लिये है तथा भविष्य में इस व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं किया जा सकेगा।
- (E) इस योजना के तहत गेस्ट फैंकल्टी पर रखे जाने वाले अभ्यर्थियों से निर्धारित शपथ पत्र ( परिपत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र ) भरवाकर लिया जायेगा।
- (F) गेस्ट फैंकल्टी के कार्य का संतोषजनक कार्य सत्पादन के आधार पर ही प्रतिमाह भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- (G) किसी महाविद्यालय में किसी विषय विशेष हेतु यदि कोई भी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर DRAC प्राचार्य जिले के महाविद्यालयों के तैयार पैनल में से शेष रहे अभ्यर्थियों में से वरीयता क्रम में महाविद्यालय में अध्यापन व्यवस्था हेतु कालांतर आधारित गेस्ट फैंकल्टी का आवंटन अपने स्तर से किया जाकर इसकी सूचना आयुक्तालय प्रेषित करें।

13. पैनल का अनुमोदन पूर्व की भांति संयुक्त निदेशक एच.आर.डी. की ई-मेल से ही किया जायेगा।

14. विभाग द्वारा विद्या संबल हेतु गत वर्ष प्रदान शेष निर्देश पूर्ववत रहेंगे।

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

संलग्न :-

1. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक प.6(2) वित्त/सा.वि.ले.नि./2021 दिनांक 30.03.2021
2. गेस्ट फैंकल्टी से लिया जाने वाला शपथ पत्र।
3. पैनल तैयार करने हेतु वरीयता के मानदण्ड।
4. महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 कि संबंधित नियमों की प्रति।
5. प्रमारी अधिकारी, आई.टी. सेल कृपया अपलोड करें।

संयुक्त निदेशक  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर



क्रमांक : प.8(2)वित्त/साविलेनि/2021

जयपुर, दिनांक : 30-03-2021

### परिपत्र

विषय : विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों-विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैंकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया।

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए "विद्या संबल योजना" लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैंकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फैंकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैंकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों को गैस्ट फैंकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

4. गैस्ट फैंकल्टी/चयन प्रक्रिया :

(क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्वधीन गैस्ट फैंकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

(ख) जिलारतरीय समिति के माध्यम से :

- I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।
- II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार-संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फ़ैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।
- II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फ़ैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड-III	1 से 8	300/-	21000/-
ग्रेड-II	9 से 10	350/-	25000/-
ग्रेड-I	11 से 12	400/-	30000/-
अनुदेशक	-	300/-	21000/-
प्रयोगशाला सहायक	-	300/-	21000/-

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800/-	45000/-
सह आचार्य	1000/-	52000/-
आचार्य	1200/-	60000/-

6. गैस्ट फ़ैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ-पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

7. गैस्ट फौकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।
9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।



( डॉ. पूष्पी )  
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिरूपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यालय/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/हासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकसूक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार एवं एण्ड ई राजस्थान जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर/सहायक आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12. समस्त द्वितीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. समस्त उपायन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख ई परिवत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावे।
16. रक्षित पत्रावली।



(विमल कुमार गुप्ता)  
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04/2021)

प्रारूप

शपथ-पथ

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....  
विभाग.....(संस्थान का नाम) में दिनांक.....को  
गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ/दे रही हूँ।

1. यह है कि मैंने.....विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक.....  
.....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित  
शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम)  
विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक.....को  
अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं  
तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख  
एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन  
पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास,  
जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं  
यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे  
गेस्ट फेकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के  
empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही  
मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं  
करूंगा/करुंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार  
अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करुंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ/  
करती हूँ तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फौकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।
9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फौकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फौकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होऊंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता



प्रारूप

शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री \_\_\_\_\_  
विभाग \_\_\_\_\_ (संस्थान का नाम) में दिनांक \_\_\_\_\_ को गैस्ट फैंकल्टी  
के रूप में अपनी तपस्थिति दे रहा हूँ/ दे रही हूँ।

1. यह है कि मैंने \_\_\_\_\_ विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक \_\_\_\_\_  
के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ  
लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के विद्या (तामान्य किल्लिथ एव लोखा नियम) विभाग के परिपत्र  
क्रमांक प.०(२) विद्या साधिलेनि 2021 दिनांक \_\_\_\_\_ को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया  
नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज  
जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (जहां पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पाठ्य  
परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू-पू.से स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया  
सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान  
कूटस्थित/छुपी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैंकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा।  
जिला स्तरीय समिति के सम्पेलन से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक  
कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानकों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान  
करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ/करती हूँ तो तबथा एक तरहत कार्यवाही  
हेतु स्वयं तथत अधिकृत होगी।
7. यह कि मैं स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से मज्जिमति अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहिता की गैस्ट  
फैंकल्टी नर रखा गया है उस पद के स्थानपरतण/नवीन नियुक्ति द्वारा रिक्त पद के भरे जाने पर  
गैस्ट फैंकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक  
के होने पर आमस्थित शिक्षकों को उनकी बनावटी गयी दरिदरता सूची में सबसे नीचे स्थान वाली शिक्षक  
को सबसे पहले मुक्त किया जायेगा।
9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अनचायी तथा एक सेमेस्टर  
या एक सेसन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं  
करूंगा/करूंगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैंकल्टी के रूप में  
नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया  
जायेगा।

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
12. यह कि मुझे केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी को स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी नियम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और नहीं कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुरुस्तरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति को दृष्टा में संस्थान या संस्थान अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गेस्ट फेकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा/रखूंगी तथा इसका उल्लंघन करने पर निम्नानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।
15. यह कि मुझे ज्ञात है कि चूंकि यह व्यवस्था प्रति कालांतर मानदेय भुगतान पर आधारित है अतः शक्यपरिहाता को किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं संपन्नपूर्वक समान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 01 से 15 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य है। मैंने इनको भलिभाति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी अस्तव्यक्ति नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य अस्तव्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं उसके लिये उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

शपथग्रहिता

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (अ-ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक.एफ. 1(2)डीओपी/ए-II/84

जयपुर, दिनांक : 31.1.2018

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1988 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन.- राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1988, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 में-

(i) विद्यमान खण्ड (घ) को स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(U) “आयुक्त/निदेशक” से आयुक्त/निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान अभिप्रेत है;”

(ii) विद्यमान खण्ड (झ) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ञ) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड (झझ) अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(झझ) “विनियम” से समय-समय पर यथासंशोधित और राज्य सरकार द्वारा तथा अंगीकृत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिक्षण एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अर्हताएं एवं राज्य शिक्षा में मानकों के अनुसंधान संबंधी उपाय) विनियम, 2010 अभिप्रेत है।

(iii) खण्ड (ड) में, अंत में अभिव्यक्ति “और” जोड़ी जायेगी; और

2/2018

39. रिक्त पद पर नती के लिए विशेष उपबन्ध और कार्य-भार— (1) अधिवार्धिकी मृत्यु नये महाविद्यालयों में पदों के सृजन या किसी अन्य कारण से संघर्ष में किसी रिक्ति को केवल सहायक आचार्य के पद पर सीधी नती द्वारा भरा जायेगा और उस पद को, जो कैरियर उन्नति स्कीम (ई.ए.स्की.) के अधीन सहायक आचार्य से सह-आचार्य और सह-आचार्य से आचार्य पर पदोन्नति में पश्चात् रिक्त हो सीधी नती द्वारा नहीं भरा जायेगा।

(2) प्राचार्य, आचार्य, सह-आचार्य और सहायक आचार्य का कार्य-भार सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित मानकों के अनुसार होगा।

11. अनुसूची-1 का प्रतिस्थापन— उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची-1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

11

अनुसूची-1

क्र. सं.	पद का नाम	भरती की शैति प्रतिलता सहित	संघी भरती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पद जिलसे पदोन्नति/पकन किया जाना है	पदोन्नति/पकन के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तिका
1	2	3	4	5	6	7
<b>प्रशासनिक पद</b>						
1	अभ्युक्त/ निदेशक	100% पकन द्वारा	-	प्राचार्य/ संयुक्त निदेशक	रत्न सं. 5 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव।	सफल किसी भी समय जब श्रितति की ऐसी मांग हो, अभ्युक्त/निदेशक के पद पर किसी भादसे के व्यक्तिकारी को नियुक्त कर सकेगी।
<b>अध्ययन पद</b>						
2	महाविद्यालय का प्राचार्य/संयुक्त निदेशक (सौश्रुतिक)	100% पकन द्वारा	-	आचार्य/सह-आचार्य/सुप प्राचार्य	(i) आचार्य जो सुसंगत शाखा में पीएचडी डिग्री रखता हो, प्राचार्य के रूप में पदोन्नति का पात्र होगा।	(i) 75% पद सह-आचार्य/सुप प्राचार्य के पद से भरे जायेंगे और शेष 25% पद उपलब्ध आचार्य के पद द्वारा भरे जायेंगे।

5/1

						कार्यक्रम, व्यावहारिक कौशल विकास कार्यक्रम और संकाय विकास कार्यक्रम के प्रवर्गों में से न्यूनतम एक सप्ताह की अवधि का एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम।			
						(iv) अनुसूची-1 से संबंधित परिशिष्ट-1 की शारदी-1 और शारदी II (क) तथा II (ख) में अद्यतनकृतित समय खर्चिता वही होगी जो नियम 23 में क्या विहित है।			
6	सहायक आयुक्त (पी.प्र.वे. 8000)	100% पदेन्तित द्वारा				सहायक आयुक्त (पी.प्र.वे. 7000)	विनियमों के खण्ड 6.4. 6 के अनुसार।		
7	सहायक आयुक्त (पी.प्र.वे. 7000)	100% पदेन्तित द्वारा				सहायक आयुक्त (पी.प्र.वे. 6000)	विनियमों के खण्ड 6.4.5 के अनुसार।		
8	सहायक आयुक्त	100% लक्ष्मी द्वारा			(i) अथवा शैक्षणिक				

41

	<p>भती द्वारा अभिलेख स्वयं में किसी भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर कम से कम 55% अंक (या अंकमान पर समतुल्य ग्रेड जहां नहीं भी रोडिंग प्रणाली अपनायी जाती है), या किसी प्रत्यापित विदेशी विश्वविद्यालय से कोई समतुल्य डिग्री।</p>			
	<p>(ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूर्ण</p>			

51/

				करने को अतिरिक्त अर्थों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विकास और टीचिंगिण्ड अनुबंधन परिषद् द्वारा संघारिता राष्ट्रीय पाठ्यता परीक्षा (नेट) या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यागित समन परीक्षा जैसे स्लेट/सेट उल्लिखित हो।				(iii) ऐसे अर्थों
--	--	--	--	---	--	--	--	------------------

5/1



को जो य जिनके  
 विश्वविद्यालय  
 अनुदान आयोग  
 (पीएच.डी. उपार्थि  
 प्रदान करने हेतु  
 न्यूनतम गनरेंट  
 और प्रक्रिया)  
 विनियम 2009 के  
 अनुसार पीएच.डी.  
 शिपी प्रदान की  
 गयी है. सहायक  
 आचार्य की भर्ती  
 और नियुक्ति के  
 लिए  
 नोट/स्केट/सेट  
 की न्यूनतम मात्रता  
 यहाँ की अर्पणा से  
 छूट दी जायेगी।


(iv) शाखाओं के  
 ऐसे स्थायीकरण  
 प्रोजेक्टों में भी  
 गैर/स्लैट/सेट  
 की बंधन नहीं की  
 जायेगी जिनके  
 लिए गैर/स्लैट/  
 सेट संशोधित नहीं  
 की जाती है।

1/1

राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एक1 ( )स्था./आकाशि/गे.फे./2021 - 1255

दिनांक: 11.6.2021

प्राचार्य/नोडल अधिकारी,  
समस्त राजकीय महाविद्यालय

विषय:- विद्या संबल योजना के अन्तर्गत अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैंकल्टी आमन्त्रित करने हेतु।

संदर्भ:- वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2) वित्त/सा. वि. लं. नि./2021  
दिनांक 30.03.2021

महोदय,

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र के क्रम में ऐसे महाविद्यालय जो वर्ष 2019, 2020 तथा 2021 में नवीन सृजित हुए हैं एवं ऐसे महाविद्यालय जिनमें विषय विशेष के स्वीकृत पदों में से 60 प्रतिशत पद रिक्त हैं में गेस्ट फैंकल्टी से अध्यापन कार्य करवाने के संबंध में दिशा निर्देश निम्नानुसार होंगे-

1. विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा "विद्या संबल योजना" के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैंकल्टी आमन्त्रित कर अध्यापन कराने हेतु वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में गेस्ट फैंकल्टी के द्वारा अध्यापन व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा जारी उपर्युक्त वर्णित परिपत्र के बिन्दु संख्या 4 (क) में वर्णित स्तर से परिपत्र के बिन्दु संख्या 5 में वर्णित देय मानदेय पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन की जा सकेगी।
2. ऐसे महाविद्यालयों जिनमें विषय विशेष के स्वीकृत पदों में से 60 प्रतिशत पद रिक्त हैं में महाविद्यालयों को विषय विशेष का अध्यापन गेस्ट फैंकल्टी के माध्यम से करवाया जा सकेगा।
3. वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में नवसृजित महाविद्यालयों में गेस्ट फैंकल्टी की व्यवस्था नोडल महाविद्यालयों द्वारा की जा जायेगी।
4. वर्तमान में प्रभावी महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1988 में सहायक आचार्य के पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताधारी निजी अभ्यर्थियों/महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियमों के अन्तर्गत सेवानिवृत्त शैक्षणिक अधिकारी को ही गेस्ट फैंकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। निजी अभ्यर्थियों के संबंध में न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी।
5. स्थानान्तरण/नवीन नियुक्ति द्वारा रिक्त पद के भरे जाने पर गेस्ट फैंकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक के होने पर आमन्त्रित शिक्षकों को उनकी बनायी गयी परीयता सूची में सबसे नीचे स्थान वाले शिक्षक को सबसे पहले मुक्त किया जायेगा।
6. विशेष परिस्थितियों में किसी महाविद्यालय को विषय विशेष में अध्यापन व्यवस्था हेतु विद्या संबल योजना में गेस्ट फैंकल्टी की आवश्यकता होने पर आयुक्तालय से गेस्ट फैंकल्टी की अनुमति हेतु मांग की जा सकेगी। महाविद्यालय द्वारा मांग प्राप्त होने पर सक्षम स्तर से निर्णय लेकर गेस्ट फैंकल्टी व्यवस्था लागू की जा सकेगी।
7. गेस्ट फैंकल्टी पर आमन्त्रित शिक्षक केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवायेंगे, इन्हें कोई प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपा जाना है।

यह दिशा निर्देश मात्र वर्ष 2021-22 के बजट सत्र हेतु ही है।

*Handwritten signature*

7. गेस्ट फ़ैकल्टी का पैनल तैयार करने हेतु दिशा निर्देश :-

(A) वित्त विभाग के परिपत्र के बिन्दु संख्या 4 (क) में वर्णित संस्था प्रधान, महाविद्यालय में रिक्त चल रहे पदों के आधार पर आवश्यकता का आंकलन करे। शैक्षणिक सत्र के आरम्भ होने से पूर्व सार्वजनिक सूचना प्रचार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।


(B) आवेदन पत्रों की जांच महाविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा आयुक्तालय द्वारा पात्रता के लिये निर्धारित एवं संसूचित दिशा निर्देश/शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची के आधार पर पैनल तैयार किया जायेगा। प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा तैयार पैनल का आयुक्तालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु आयुक्तालय में संयुक्त निदेशक के स्तर पर गठित समिति द्वारा प्राप्त पैनल का परीक्षण किया जायेगा। आयुक्तालय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात गेस्ट फ़ैकल्टी के पैनल से वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर अध्यापन कार्य करवाया जा सकेगा।

(C) प्रत्येक संस्था हेतु योग्य अभ्यर्थियों का विषयवार पैनल तैयार किया जायेगा। प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध यथासम्भव न्यूनतम 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जायेगा।

(D) यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सत्र के लिये है तथा भविष्य में इसको व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं किया जा सकेगा।


(E) इस योजना के तहत गेस्ट फ़ैकल्टी पर रखे जाने वाले अभ्यर्थियों से निर्धारित शपथ पत्र (परिपत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र) भरवाकर लिया जायेगा।

(F) गेस्ट फ़ैकल्टी के कार्य का संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही प्रतिमाह भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

  
(संदेश नियक)  
आयुक्त

संलग्न:-

1. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक पं.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021
2. गेस्ट फ़ैकल्टी से लिया जाने वाला शपथ पत्र
3. पैनल तैयार करने हेतु वरीयता के मानदण्ड
4. प्रमारी अधिकारी । T चयन प्रक्रिया उपलब्ध करें

  
11/06/2021.

डॉ. आर. सी. शर्मा  
संयुक्त निदेशक (आयुक्त)

विद्या सम्बलन योजनान्तर्गत गैस्ट फ़ैकल्टी का पैनल तैयार करने के लिए वरीयता के मानदंड

क्र.सं.	शैक्षणिक रिकॉर्ड	स्कोर			
		80 प्रतिशत और उससे अधिक = 21 80% & above = 21	60 प्रतिशत से और 80 प्रतिशत से कम = 19 60% to less than 80% = 19	55 प्रतिशत से और 60 प्रतिशत से कम = 16 55% to less than 60% = 16	45 प्रतिशत से और 55 प्रतिशत से कम = 10 45% to less than 55% = 10
1	स्नातक				
2	अधिस्नातक	80 प्रतिशत और उससे अधिक = 25 80% & above = 25	60 प्रतिशत से और 80 प्रतिशत से कम = 23 60% to less than 80% = 23	55 प्रतिशत (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग (असमान वर्ग)/शारीरिक अंग से निराक्षर उम्मीदवारों के मामले में 50 प्रतिशत) से और 60 प्रतिशत से कम = 20 55% (50% in case of SC/ST/OBC (Non Creamy layer)/PWD) to less than 60% = 20	
3	एम. फिल	60 प्रतिशत और उससे अधिक = 07 60% & above = 07	55 प्रतिशत से किन्तु 60 प्रतिशत से कम = 05 55% to less than 60% = 05		
4	पी एच डी	25			
5	जेआरएफ सहित नेट	10			
	नेट	08			
	सेट या सेट	05			
6	शोध प्रकाशन (राष्ट्रकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एचवीबड जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन हेतु 2 अंक)	06			
7	शिक्षण/पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव (प्रत्येक एक वर्ष के लिए 02 अंक) #	10			
8	पुरस्कार				
	अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर (अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/भारत सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा दिये गये पुरस्कार)	03			
	राज्य स्तरीय (राज्य सरकार द्वारा दिये गये पुरस्कार)	02			

# तथापि यदि शिक्षण/पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव की अवधि एक वर्ष से कम है तो अंकों को अनुपातिक रूप से घटा दिया जाएगा।

नोट :-

- (क) (i) एमफिल पीएचडी अधिकतम - 25 अंक  
(ii) जे आर एफ/नेट/सेट अधिकतम - 10 अंक  
(iii) अपांड की श्रेणी में अधिकतम - 03 अंक

*hah*  
अधुक्ता 11/08.  
कॉलेज शिक्षा, राज, जयपुर

प्रारूप

शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....  
विभाग ..... (संस्थान का नाम) में दिनांक ..... को गैस्ट फैंकल्टी  
के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ/ दे रही हूँ।

1. यह है कि मैंने ..... विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक ..... के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.8(2) वित्त सावितलेनि 2021 दिनांक ..... को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही है।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरहित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैंकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellment से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ/करती हूँ तो संस्था एक तरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।
7. यह कि मैं स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फैंकल्टी पर रखा गया है उस पद के स्थानान्तरण/नवीन नियुक्ति द्वारा रिक्त पद के भरे जाने पर गैस्ट फैंकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक के होने पर आमन्त्रित शिक्षकों को उनकी बनायी गयी दरीयता सूची में सबसे नीचे स्थान वाले शिक्षक को सबसे पहले मुक्त किया जायेगा।
9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैंकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधनता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और नही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गेस्ट फेकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा/रखूंगी तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डनीय कार्यवाही का उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।
15. यह कि मुझे ज्ञात है कि चूंकि यह व्यवस्था प्रति कालाश मानदेय भुगतान पर अवारित है अतः शपथग्रहिता को किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।

शपथग्रहिता

#### सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 01 से 15 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्ति नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

शपथग्रहिता

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक.एफ. 1(2)-डीओपी/ए-II/84

जयपुर, दिनांक : 31.1.2018

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन.- राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986, जिन्हें हस्तमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(छ) “आयुक्त/निदेशक” से आयुक्त/निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान अभिप्रेत है;”

(ii) विद्यमान खण्ड (ज) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ज) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड (झझ) अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(झझ) “विनियम” से समय-समय पर यथासंशोधित और राज्य सरकार द्वारा यथा अंगीकृत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण संबंधी उपाय) विनियम, 2010 अभिप्रेत हैं।

(iii) खण्ड (ड) में, अंत में अभिव्यक्ति “और” जोड़ी जायेगी, और

2/2018



30. रिक्त पद पर भर्ती के लिए विशेष उपबन्ध और कार्य-भार— (1) अधिवार्षिकी, मृत्यु, नये महाविद्यालयों में पदों के सृजन या किसी अन्य कारण से संवर्ग में किसी रिक्ति को केवल सहायक आचार्य के पद पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा और उस पद को, जो कैरियर उन्नति स्कीम (कै.उ.स्की.) के अधीन सहायक आचार्य से सह-आचार्य और सह-आचार्य से आचार्य पर पदोन्नति के पश्चात् रिक्त हो, सीधी भर्ती द्वारा नहीं भरा जायेगा।

(2) प्राचार्य, आचार्य, सह-आचार्य और सहायक आचार्य का कार्य-भार सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित मानकों के अनुसार होगा।

11. अनुसूची-1 का प्रतिस्थापन.— उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची-1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

1/1

"अनुसूची-I

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती की रीति प्रतिशत सहित	सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पद जिससे पदोन्नति/चयन किया जाना है	पदोन्नति/चयन के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	अभ्यक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
<b>प्रशासनिक पद</b>						
1	आयुक्त/निदेशक	100% चयन द्वारा	-	प्राचार्य/संयुक्त निदेशक	स्तंभ सं. 5 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव।	सरकार किसी भी समय जब स्थिति की ऐसी भांग हो, आयुक्त/निदेशक के पद पर किसी भा.प्र.से. के अधिकारी को नियुक्त कर सकेगी।
<b>अध्यापन पद</b>						
2	महाविद्यालय का प्राचार्य/संयुक्त निदेशक (शैक्षणिक)	100% चयन द्वारा	-	आचार्य/सह-आचार्य/उप प्राचार्य	(i) आचार्य जो सुसंगत शाखा में पीएच.डी डिग्री रखता हो, प्राचार्य के रूप में पदोन्नति का पात्र होगा।	(ii) 75% पद सह-आचार्यों/उप प्राचार्यों के पद से भरे जायेंगे और शेष 25% पद उपलब्ध आचार्यों के पद द्वारा भरे जायेंगे।

1/1

					<p>कार्यक्रम, व्यावहारिक कौशल विकास कार्यक्रम और संकाय विकास कार्यक्रम के प्रदर्शनों में से न्यूनतम एक सप्ताह की अवधि का एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम।</p> <p>(iv) अनुसूची-I से संलग्न परिशिष्ट-I की सारणी-I और सारणी II (क) तथा II (ख) में यथासम्बंधित चयन समिति वही होगी जो नियम 23 में यथा विहित है।</p>
6	सहायक आचार्य (शै.ग्रे.वे. 8000)	100% पदोन्नति द्वारा	-	सहायक आचार्य (शै.ग्रे.वे. 7000)	विनियमों के खण्ड 6.4. 6 के अनुसार।
7	सहायक आचार्य (शै.ग्रे.वे. 7000)	100% पदोन्नति द्वारा	-	सहायक आचार्य (शै.ग्रे.वे. 8000)	विनियमों के खण्ड 6.4.5 के अनुसार।
8	सहायक आचार्य	100% सीधी	(i) अच्चम शैक्षणिक	-	-

	भर्ती द्वारा	अभिलेख साथ में किसी भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर कम से कम 55% अंक (या अंकगण पर समतुल्य ग्रेड जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनायी जाती है), या किसी प्रत्यावित विदेशी विश्वविद्यालय से कोई समतुल्य डिग्री।			
		(ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूर्ण			

			<p>करने के अतिरिक्त अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा जैसे स्लेट/सेट उत्तीर्ण हो।</p> <p>(iii) ऐसे अभ्यर्थी</p>		
--	--	--	--	--	--

		<p>को, जो या जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. डिग्री प्रदान की गयी है, सहायक आचार्य की भर्ती और नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्त की अपेक्षा से छूट दी जायेगी।</p>		
--	--	---	--	--

61

			(iv) शाखाओं के ऐसे स्नातकोत्तर प्रोग्रामों में भी नेट/स्लेट/सेट की अपेक्षा नहीं की जायेगी जिनके लिए नेट/स्लेट/सेट संचालित नहीं की जाती हैं।			
--	--	--	---	--	--	--

11

राजस्थान सरकार  
उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक: एफ1(41)स्था/आकाशि/2016/पार्ट - 1110

दिनांक 04-12-2020

संशोधन आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम 2018 की अनुसूची 01 के बिन्दु संख्या 08 के कॉलम संख्या 04 में कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्यों की सीधी भर्ती से चयन के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता का प्रावधान किया गया है। इस शैक्षणिक योग्यता में वर्णित अच्छे शैक्षणिक अभिलेख के क्रम में शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के पत्र क्रमांक F1 Edu.4/2010 दिनांक 21.02.2014 द्वारा परिभाषित अच्छे शैक्षणिक अभिलेख में उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1(41)स्था/आकाशि/2016/पार्ट /1039 दिनांक 15.09.2020 के द्वारा एस.सी./एस.टी./दिव्यांग तथा ओ.बी.सी.(गैर समूह) श्रेणी के अभ्यर्थियों को पात्रता तथा 21.02.2014 के पत्र में परिभाषित अच्छे शैक्षणिक अभिलेख में 5 प्रतिशत अंकों की छूट प्रदान की गई थी।

शिक्षा ग्रुप-4 के पत्र दिनांक 21.02.2014 तथा उच्च शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 15.09.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त आदेश में परिभाषित अच्छे शैक्षणिक अभिलेख को एतद् द्वारा प्रत्याहारित करते हुए राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम 2018 की अनुसूची 01 के बिन्दु संख्या 08 के कॉलम संख्या 04 में वर्णित शैक्षणिक योग्यताओं के क्रम में अच्छे शैक्षणिक अभिलेख को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है:-

“ कला/विज्ञान/वाणिज्य संकाय हेतु गुड अकेडमिक रिकार्ड से अभिप्राय:- स्नातक स्तर पर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक। इसमें एस. सी./एस.टी./ओ.बी.सी. (गैर समूह) एवं दिव्यांग श्रेणी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत तक की छूट दी जा सकेगी।

विधि संकाय हेतु गुड अकेडमिक रिकार्ड से अभिप्राय:-  
“ विधि स्नातक परीक्षा कम से कम द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण किया जाना आवश्यक है।”

दिनांक 15.09.2020 के आदेश में पी.एच.डी एवं पात्रता के संबंध में वर्णित शेष प्रावधान गथावत रहेंगे।

(शुक्ति शर्मा)

शासन सचिव  
उच्च शिक्षा विभाग

दिनांक 04-12-2020

क्रमांक: एफ1(41)स्था/आकाशि/2016/पार्ट-1110

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

(शुक्ति शर्मा)

शासन सचिव  
उच्च शिक्षा विभाग